

(5)

06-17

आभिलेख उपस्थापित। उमय पत्र
अनुपस्थित। उमय पत्र जवाब दारिगत
की। दिनांक 23-06-17 को रखे।

10/06/17

23-06-17

परिहासिन पदाधिकारी बैठक में भाग
लेने हेतु शर्ची में। दिनांक 10-07-17
को रखे।

10-07-17

आभिलेख उपस्थापित। उमय पत्र
अनुपस्थित। उक्त वाद में 6 (छः) माह
की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात्
वाद कालबाधित हो चुका है। उक्त वाद
में आभिलेख की कारवाही बन्द की जाती
है।

10/7/17
कार्यपालक वृत्तलेखिकारा
बुन्दू (सँची)